सामान्य निर्देश–जिला शिक्षा नियंत्रक (DEC)

1. **शैक्षिक योग्यता :–**

- ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे।जो भारत(राष्ट्रं) राज्य के निवासी हों। आवेदन भरने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  नोट :– यदि प्राप्त की गयी प्रशिक्षण ब उक्त योग्यता यदि हो तो भरें। (अन्यथा खाली छोड़ दें)
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने M.Ed, M.A education, M.Phil& Ph.D तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों। उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। और उनके लिये 50% सीटें सुरक्षित रखी जायेगी। इन 50% सीटों में 50% पुरूष व 50% महिलाओं का चयन किया जायेगा।
  नोट :–यदि विज्ञान के क्षेत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो टिक करें। (अन्यथा खाली छोड़ दें)
- ऐसे अभ्यर्थी विज्ञान के कार्य क्षेत्र में रूचि रखते हों। जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया हो जिला, मण्डल, राज्य, राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रर्दशनी में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। चयन हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों। तो उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। इन 5% सीटों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन 5% सीटों में 50% पुरूष व 50% महिलाओं का चयन किया जायेगा।

2. **आयु :–**

- अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जुलाई 2016 से की जायेगी। इस हेतु न्यूनतम आयु 24 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष है।

आरक्षण :–

- भारत सरकार व राज्य सरकार के विधिमान आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जायेगी।
- विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी।

3. **आवेदन शुल्क :–**

- ऑन लाइन आवेदन पत्र शुल्क हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवेदन शुल्क की धनराशि 400/–तथा अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 600/– होगा एवं विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।शुल्क भुगतान के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नही होगा।

4. **मानदेय :–**

- जिला शिक्षा नियंत्रक का न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह 20200/–देय होगा।
- जिला शिक्षा नियंत्रक का मानदेय का भुगतानई0आर0डी0ओ0की राज्य /राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य शाखा से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जायेगा।
- जिला शिक्षा नियंत्रक की उपस्थिति/अनुपस्थिति अवकाश के आधार पर जो व्यवस्था नियमित लागू है प्रत्येक माह राज्य स्तरीय ई0आर0डी0ओ0 शाखा द्वारा सीधे जिला शिक्षा नियंत्रकके खाते में मानदेय भेजा जायेगा। किसी भी परिथिति में जिला शिक्षा नियंत्रक का मानदेय भुगतान चैक/नकद से नहीं किया जायेगा।

5. <u>कार्यकालः</u>–

- ई0आर0डी0ओ0 के तहत जिला शिक्षा नियंत्रक का कार्यकाल 11 माह का होगा एवं किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगा। जिला शिक्षा नियंत्रक का 31 मई तक मानदेय होगा।
- जिला शिक्षा नियंत्रक की नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एवं सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अगले शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो (ई0आर0डी0ओ0) **संभागीय निदेशक** द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित स्वतः प्रस्तावित सचिव (ई0आर0डी0ओ0) को प्रस्तुत किया जायेगा। सेवा समाप्ति हेतु निर्गत आदेशसचिव/अध्यक्ष ई0आर0डी0ओ0 के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगा।

6. <u>अवकाश</u> :–

- जिला शिक्षा नियंत्रक को वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- अनाधिकृत अनुपस्थित पर मानदेय देय नहीं होगा।
- चेतावनी के उपरान्त भी अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने पर (ई0आर0डी0ओ0) **संभागीय निदेशक** द्वारा सेवा समाप्ति पर भी विचार किया जा सकेगा।अन्तिम निर्णय (ई0आर0डी0ओ0) विभाग का होगा।

7. <u>प्रशिक्षण</u> :–

- जिला शिक्षा नियंत्रक की तैनाती के उपरान्त अभ्यर्थियों को 3 माह के (टी0टी0सी0) प्रशिक्षण से गुजरना होगा।**प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेड) देय नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों से लिए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का मदवार विवरण टी0टी0सी0 प्रोग्राम में दिया है।**
- उर्पयुक्त सभी पदों के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उक्त योग्यता पूर्ण कर रहें अभ्यर्थियों को यह प्रशिक्षण ''शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन'' द्वारा कराया जायेगा।

8. <u>चयन प्रक्रिया</u> :–**लिखित परीक्षा और साक्षात्कार**

- अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा T-TET ट्यूशन– टीचर एलिजिविलिटी टैस्ट (ट्यूशन शिक्षा पात्रता परीक्षा) से लिखित परीक्षागुजरना होगा। इस खण्ड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.0 अंक का होगा। प्रश्न सामान्य ज्ञान, प्रारम्भिक गणित, अभिरूचि हिन्दी व अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर अध्ययन, बाल विकास एवं शिक्षण प्रश्नपत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मैरिट लिस्ट सिर्फ लिखित परीक्षा में हासिल किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी हालांकि मैरिट लिस्ट में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो 50 प्रतिशत अंक T-TET परीक्षा में प्राप्त किय हों। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

<u>जिला शिक्षा नियंत्रककी चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित समयवद्ध कार्यक्रय निर्धारित किया जाता है।</u>

1.	शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दी गयी विज्ञापन की तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होगा।	02.01.2017
2.	(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (ख) ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	13.02.2017 15.02.2017
3.	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करने की अन्तिम तिथि	18.10.2017
4.	लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउन लोड करने की प्रारम्भ तिथि	30.05.2017
5.	जिला शिक्षा नियंत्रक की लिखित परीक्षा की तिथि	Jun Month
6.	ई0आर0डी0ओ0 द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर मैरिट सूची http//:www.erdo.org.inपर उपलब्ध करा दी जायेगी।	